"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च 2012—फाल्गुन 26, शक 1933

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-43/तीन-जेल/2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जेल (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में—
अनुसूची-तीन के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिये)

छत्तीसगढ़ जेल (राजपत्रित) सेवा तथा भर्ती नियम

स. क्र.	विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जेल विभाग	अधीक्षक जिला जेल	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि धारण करता हो.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	जेल विभाग	विधि अधिकारी	25 वर्ष	30 वर्ष	(1) विधि में स्नातक होना चाहिये. (2) अधिवक्ता के रूप में दो वर्ष का अनुभव.

टीप :— ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक स्थानीय निवासी हैं, के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश के अनुसार उच्चतर आयु सीमा शिथिल की जायेगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कूजूर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2012

क्रमांक एफ 3-43/तीन-जेल/2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का अधिसूचना दिनांक 16-3-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कूजूर, उप-सचिव.

Raipur, the16th March 2012

NOTIFICATION

No. F 3-43/Three-Jail/2010.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, The Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Jail (Gazetted) Service Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

For the Schedule-III, the following shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE-III
(See Rule 8)

Chhattisgarh Jail (Gazetted) Service and Recruitment Rules

S. No. (1)	Name of the Department (2)	Name of Post (3)	Minimum Age limit (4)	Maximum Age limit (5)	Educational Qualification Prescribed (6)
1.	Jail Department	Superintendent District Jail	21 Year	30 Year	Should be Graduate or possess equivalent degree from recognized University.
2.	—do—	Legal Officer	25 Year	30 Year	1. Should be Law Graduate, and 2. Two year experience as Advocate.

Note :—The upper age limit shall be relaxed, for the candidates who are bonafide local resident of Chhattisgarh State, as per instruction issued by the General Administration Department, from time to time."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
WILLIAM KUJUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.